	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-8-20	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य ~~कार्यवश~~ बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 19-8-2020 को पेश हों। (हस्ताक्षर) कोविड-19	
19-8-20	पत्रावली पेश हुई ~~अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित~~ हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 14-10-2020 को पेश हों। (हस्ताक्षर) कोविड-19	
14-10-20	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वकील वादी की पुनः एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस समाप्त पत्रावली की गई वास्ते आदेश पत्रावली 28-10-2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28-10-20	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया वादीगण का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नारवेरी (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.12 13:47:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज.)

वाद संख्या 31 / दावा / 2018
दायरा दिनांक 10 / 07 / 2018

पीठासीन अधिकारी
श्री प्रमोद कुमार (RAS)

1– राजकिशोर आयु 50 वर्ष आ0 श्री छोटूलाल जाति मीणा निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला–बून्दी राज0

2– शांति बाई आयु 47 वर्ष पत्नी श्री राजकिशोर जाति मीणा निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला–बून्दी राज0

...........वादीगण....

– बनाम –

1– लटूर आयु 47 वर्ष आ0 श्री छोटूलाल जाति मीणा निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

..........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0 टी0 एक्ट व धारा 136

राज0 भूराजस्व अधिनियम 1956

वाद पत्र अनुसार ओदश 7 नियम 1 व्य.प्र. संहिता

– निर्णय – दिनांक 28 / 10 / 2020

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0 टी0 ए0 एवं धारा 136 एल आर एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या नया 154 कृषि भूमि खसरा नम्बर 467 रकबा 1.82 हैक्टयर, खसरा न. 1039 रकबा 0.10 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.92 हैक्टर ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। वाद वर्णित भूमि सयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। पूर्व में वाद वर्णित अराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता छोटू लाल जी के नाम दर्ज थी। छोटू लाल जी की मृत्यु के पश्चात फौती

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.12 13:47:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

[illegible] के नाम दर्ज थी। छोटू लाल जी की मृत्यु के पश्चात फौती नामान्तकरण राजस्व [illegible] द्वारा खोला गया नामान्तकरण खोलते वक्त उसमें वादी संख्या 1 का नाम राजकिशोर के स्थान पर नन्दकिशोर राजस्व रिकोर्ड में अंकित कर दिया गया एवं खाता संख्या नया 417 कृषि भूमि खसरा संख्या 1461/667 रकबा 1.44 हैक्टयर ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 2 शांति बाई पत्नी नन्दकिशोर जाति मीना के नाम दर्ज है जबकि वादी संख्या 2 के पति का सही नाम नन्दकिशोर न होकर राजकिशोर है यह है कि वादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकोर्ड में गलत अंकित हो जाने से वादी संख्या 2 के पति का नाम गलत अंकित हो जाने से काफी अड़चन आती है। वादी संख्या 1 ने अपना सही नाम नन्दकिशोर के स्थान पर राजकिशोर एवं वादी संख्या 2 के पति का नाम नन्दकिशोर के स्थान पर राजकिशोर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कराने हेतु मौखिक रूप से माह जून के प्रथम सप्ताह सन 2018 में प्रतिवादी संख्या 2 से निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ने राजस्व रिकॉर्ड में नाम सही करने से इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। और अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित खाता संख्या 154 व वाद पत्र के चरण संख्या 4 में वर्णित खाता संख्या 417 ग्राम की जमाबंदी में नन्दकिशोर के नाम को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर राजकिशोर नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे।

वादी गण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया जाये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादी गण का वाद स्वीकार किए जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की गयी। वादी गण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सवत् 2072 से 2075 खाता संख्या 154 ग्राम लबान पेश की है जो प्रदर्श 1 है नकल जमाबंदी सवत् 2072–2075 खाता संख्या 417 ग्राम लबान पदर्श 2 हैं असल राशन कार्ड की छायाप्रति पदर्श 3 पेश की है एवं शान्ति कार्ड की छायाप्रति, असल ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र,डाइट शिक्षा बून्दी की अंकतालिका पुत्र विजेन्द्र कुमार एवं स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की है।

वादी गण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी गण के अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाता संख्या नया 154 कृषि भूमि खसरा नम्बर 467 रकबा 1.82 हैक्टर, खसरा न. 1039 रकबा 0.10 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.92 हैक्टयर खाता संख्या नया 417 कृषि भूमि खसरा संख्या 1461/667 रकबा 1.44 हैक्टयर ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। जिनके राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम व वादी संख्या 2 के पति का नाम राजकिशोर के स्थान पर फौती नामान्तकरण खोलते समय नन्दकिशोर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया जो गलत है। वादी का नाम नन्दकिशोर के स्थान पर राजकिशोर अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.12 13:47:45 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की प्रति, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं पुत्र बिजेन्द्र कुमार की अंकतालिका एवं स्वंय का आधार कार्ड तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा को मध्यनजर रखते हुए न्यायहित में वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि खाता संख्या नया 154 कृषि भूमि खसरा नम्बर 467 रकबा 1.82 हैक्टयर, खसरा न. 1039 रकबा 0.10 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.92 हैक्टयर ग्राम लबान में स्थित कृषि भूमि में दर्ज नाम नन्दकिशोर पुत्र के छोटूलाल के स्थान पर नन्दकिशोर उर्फ राजकिशोर पुत्र छोटूलाल एवं खाता संख्या नया 417 कृषि भूमि खसरा संख्या 1461/667 रकबा 1.44 हैक्टयर ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे पति नन्दकिशोर के स्थान पर नन्दकिशोर उर्फ राजकिशोर अंकित किए जाने का आदेश तहसीलदार इन्द्रगढ़ को दिया जाता है। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 28/10/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.12 13:47:45 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

आज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.................................. मुकाम.......................लाखेरी.........................
.व इजलास.........श्री प्रमोद कुमार (आर ए एस)..
1.राजकिशोर आ0 छोटूलाल जाति मीना निवासी लबान... बनाम..1...लटूर आ0 छोटूलाल जाति मीना निवासी
2शान्तिबाई पत्नी राजकिशोर जाति मीना निवासी लबान............... लबान तहसील इन्द्रगढ़..............................
....वादीगण........ 2. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार
इन्द्रगढ़(बून्दी) प्रतिवादीगण..

दावा बाबत..88,89, आर0 टी0 एक्ट व 136 एल आर एक्ट.
....

मुकदमा नम्बर..................................31/दावा/2018..............................सन...
...यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.........हमरे...व हाजिरी

.....बी.एल. बीडा एडवोकेट.....................मिनजानिब मुद्दई रूबरू...
......................................मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि ....
.वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है खाता संख्या नया 154 खसरा न. 467 रकबा 1.82 हैक्टयर खसरा न.1039 रकबा 0.10 हैक्ट. किता 2 कुल रकबा 1.92 हैक्ट.ग्राम लबान में स्थित कृषि भूमि में दर्ज नाम नन्दकिशोर पुत्र छोटूलाल के स्थान पर नन्दकिशोर उर्फ राजकिशोर पुत्र छोटूलाल एवं खाता सं 417 खसरा न.1461/667 रकबा 1.44 हैक्ट.वाके ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पति नन्दकिशोर के स्थान पर नन्दकिशोर उर्फ राजकिशोर अंकित किए जाने का आदेश तहसीलदार इन्द्रगढ को दिया जाता है।...
.......................निज...................................मुबलिग...बाबत...
.......खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......28........माह.. ..10... सन...
2020.......................को जारी की गई।

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुहर **ओहदा**

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2020.11.12 13:47:45 IST
Reason: SelfAttested